भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 566

06.02.2023 को उत्तर के लिए

पर्यटन स्थलों पर अस्थायी संरचनाएं

566. श्री जी. एम. सिद्देश्वर :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इको-पर्यटन के लिए अस्थायी संरचनाओं के निर्माण को गैर-वन कार्यकलापों के दायरे से हटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अस्थायी संरचनाओं के निर्माण से भी वन क्षेत्रों को नुकसान हो सकता है और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में गड़बड़ी पैदा हो सकती है; और

(घ) उक्त क्षेत्रों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाने की योजना बनाई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत जारी किए गए व्यापक दिशा-निर्देशों में पारि-पर्यटन से संबंधित प्रावधानों में से अस्पष्टताओं को समाप्त करने के लिए मंत्रालय ने दिनांक 25.10.2021 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें यह स्पष्ट किया गया है कि "*सरकारी प्राधिकरणों द्वारा पारि-पर्यटन के उद्देश्य के लिए वन्य क्षेत्रों में स्थायी प्रकृति वाली विकास/निर्माण सुविधाओं को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रयोजन के संबंध में गैर-वानिकी कार्यकलापों के तौर पर नहीं माना जाएगा।*"

(ग) और (घ) पारि-पर्यटन प्राकृतिक क्षेत्रों में पर्यटन का एक स्वरूप है जिससे पर्यावरण संरक्षित होता है और लोगों के कुशल-क्षेम में सुधार होता है। न्यून प्रभाव वाले प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जिससे पारि-पर्यटन की पारिस्थितिकीय अखंडता सुनिश्चित होती है, मंत्रालय ने दिनांक 29.10.2021 के पत्र द्वारा ''वन और वन्यजीव क्षेत्रों में संधारणीय पारि-पर्यटन के संबंध में दिशा-निर्देश'' जारी किए हैं।

****